

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 139/2017 राज्य बनाम *रेल थाना महेशखूँट*

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
---------------------------------	--	---

29.12.2017

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना मानसी, महेशखूँट थाना में दर्ज कुल 02 कांड संख्या यथा (1) कांड संख्या-13/2017 दिनांक 09.7.2017, (2). कांड संख्या-18/2017, दिनांक 10.08.2017, कमशः 750 एम०एल० का 18 बोतल, एवं 750 एम० एल० का 18 बोतल विदेशी शराब जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा रेल पी०पी०, महेशखूँट के ज्ञापांक 303, दिनांक 17.11.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न रेल थानाध्यक्ष, महेशखूँट का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बोतल विदेशी शराब रेल थाना महेशखूँट के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल थाना मानसी महेशखूँट थाने के मालखाना में रखी गई कुल-25.500 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए रेल थाना मानसी महेशखूँट थाना कुल 02 कांड के आधार पर जप्त की गई कुल-25.500 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/थानाध्यक्ष, रेल थाना, महेशखूँट/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

*for sub-
02/01/18*

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
Hic. Klog	<p>डी० बी० नं० 526 / विधि, दिनांक 30/12/17</p> <p>प्रतिलिपि:—रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष महेशखूँट/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।</p> <p>30/12/17</p>	